Dr. Kumari Priyanka

History department

H.D Jain college, ara

Notes for,B.A part 2, paper 3

Topic :–चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था

चोलों के अधीन दक्षिण भारत का सर्वांगीण विकास हुआ। चोलों की सबसे बड़ी देन प्रशासन में स्थानीय तत्त्वों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करना था। यह युग सामाजिक सुव्यवस्था, आर्थिक प्रगति, धार्मिक सहिष्णुता, साहित्यिक प्रगति एवं कलात्मक विकास का युग था।

प्रशासनिक व्यवस्था-चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ-साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उसके अधिकार असीम थे। राज्य में उसकी प्रतिष्ठा भी थी। राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का पता इस बात से चलता है कि चोल राजाओं और रानियों की मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित कर उनकी पूजा की जाती थी। राजपद वंशानुगत था तथा युवराज ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। युवराज को प्रशासन में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। सरकारी पदाधिकारियों को बेतन के बदले में भूमि अनुदान में दी जाती थी। न्याय-व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। चोलों ने एक विशाल, संगठित एवं स्थायी सेना की भी व्यवस्था की। उनकी सेना में हस्तदल, अश्वारोही तथा पैदल सैनिकों की टुकड़ियाँ थीं। उनके पास एक विशाल जलबेड़ा भी था। सैनिकों को कड़गम या पडैविड्डु, अर्थात शिविरों में रखा जाता था। उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाती थी। चोलों की सेना में अरबी घोड़े भी थे। अनुमानतः चोलों की सेना में 60,000 हस्तिदल और 1,50,000 पैदल सैनिक थे। सम्राट के व्यक्तिगत अंगरक्षकों (खेडेक्कार) की अलग टुकड़ी थी। विभिन्न सैनिक अधिकारी- नायक, सेनापति, महा दंडनायक इत्यादि सैनिक व्यवस्था की देखभाल करते थे। राज्य भूमि की उपज का 1/3 भाग भू-राजस्व के रूप में वसूलता था। भू-राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य कृषि पर समुचित ध्यान देता था। जमीन का सर्वेक्षण करवा कर लगान की राशि उपज के आधार पर तय की जाती थी। राज्य सिंचाई की भी व्यवस्था करता था। सामंती व्यवस्था के कारण किसानों पर लगान का बोझ अधिक था। राज्य की आमदनी के अन्य साधन सीमा शुल्क, राहदारी, उद्योगों एवं व्यवसाय पर कर, खान, जंगल इत्यादि थे। बेगारी की प्रथा भी प्रचलित थी। राजकीय आमदनी राजा,राजपरिवार,दरबार, सेना और प्रशासन पर खर्च की जाती थी। मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमिदान दी जाती थी।चोल शासन के अंतर्गत ग्राम प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक ग्राम करीब 30 वार्डों में विभक्त था।चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता स्थानीय तत्त्वों पर बल देना था। प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य विभिन्न मंडलों में विभक्त था। मंडल, जिनकी संख्या 7-8 थी, क्रमशः माडु, कुर्रम (कोडम) में

बँटे हुए थे। गाँव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। इन प्रशासनिक इकाइयों के प्रशासन में स्वायत्त संस्थाओं को विशेष अधिकार दिए गए थे। चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में उलर, सभा, महासभा, नाडुर तथा उर का विशेष महत्त्व था। उर सर्वसाधारण की तथा सभा ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गाँवों में होती थी। नाडुओं की समितियाँ नाडुर तथा व्यापारियों की समितियाँ नगरतार अथवा नगरम् कहलाती थीं। 6 योग्यताएँ पूरी करनी पड़ती थीं। विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए महासभा अनेक समितियाँ बनाती थी, जो विशिष्ट कार्य करती थीं; जैसे न्याय, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था। समितियों को बैठके मंदिरों या वृक्षों के नीचे होती थी। महासभा को विस्तृत अधिकार थे। गाँव की समस्त सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत भूमि और जंगलों पर इसी का नियंत्रण रहता था। यही भूमि, कृषि और जंगलों की समुचित व्यवस्था तथा उनसे संबद्ध विवादों का निबटारा करती थी। केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम-महासभा की ही थी। केंद्र इनके कार्यों की निगरानी करता था, परंतु उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है।